न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार

आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 03/2018 प्रा.पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970

मुकुटबिहारी पुत्र रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी पाली मोड महवा तहसील महवा जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

1. अध्यक्ष आवंटन सलाहकार समिति हिण्डौन जरिये उपखंड अधिकारी महवा
2. तहसीलदार महवा जिला दौसा लैण्ड होल्डर
3. घनश्याम पुत्र राधेश्याम पुत्र रामनाथ जाति ब्राह्मण निवासी उहलू, तहसील भुसावर जिला भरतपुर

..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) भू आवंटन नियम 1970 विरूद्व आवंटन आदेश दिनांक 1.11.1975 द्वारा आवंटन सलाहकार समिति हिण्डौन बाबात भूमि खसरा नंबर 215/1, 23, 95/1, 287 कुल रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा वाके मौजा पाली तहसील महवा जिला दौसा बहक रामकिशन पुत्र रामनारायण ब्राह्मण निवासी पाली तहसील महवा तत्कालीन जिला सवाई माधोपुर हाल जिला दौसा।

उपस्थित–1. श्री ऋद्धि चन्द शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक: 31.01.2025

1. संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 1.11.1975 को ग्राम पाली तहसील महवा के खसरा नंबर 215/1, 23, 95/1, 287 कुल रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा भूमि का आवंटन आदेश से व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत प्रस्तुत किया गया।
2. प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि वाके पाली तहसील महवा जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 215 /1 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 23 रकबा 13 बिस्वा खसरा नम्बर 95/1 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 287 रकबा 16 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा तत्कालीन समय सिवाय चक बिना लगानी गैर मुमकिन खड्डा किस्म की भूमि वास्ते जल भराव क्षेत्र हेतु स्थित थी व दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी तथा उक्त भूमि ग्राम पाली की सीमाओं में जल भराव हेतु उपयोग उपभोग में आती थी तथा उक्त भूमि जलमग्न होने के कारण व जल भराव की भूमि होने के कारण काबिल काश्त की भूमि नहीं थी साथ ही उक्त अप्रार्थी संख्या 3 के दादा तथाकथित राधारमन ग्राम पाली का निवासी भी नहीं था तथा वह ग्राम उहलू तहसील भुसावर जिला भरतपुर का निवासी था तथा उक्त तथाकथित राधारमन ने कोई आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र भी आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया फिर भी अधीनस्थ आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमो के विपरीत भूमि नाकाबिल काश्त होते हुए व आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होते हुए भी व तथाकथित राधारमन द्वारा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं होने के बावजूद अवैध तरीके से ... के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा ही फार्म भर कर किसी ...राम के हस्ताक्षर कर ... उक्त वर्णित भूमि पर प्रार्थी के पिता रामजीलाल व सूरजसिंह राजपूत का तत्समय कब्जा होने के बावजूद भी आवंटन सलाहकार समिति ने किसी गंगासहाय पुत्र रामनारायण के नाम से सिफारिश करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:46:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के बावजूद उक्त गंगासहाय को काट कर राधारमन का नाम अंकित कर किसी राधाकिशन पुत्र रामनारायण को नियम विरूद्ध तरीके से आवंटन कर दिया। तत्पश्चात राधारमन द्वारा दिनांक 03–01–1976 को खसरा नम्बर 215/1, खसरा नम्बर 23, खसरा नम्बर 95/1, खसरा नम्बर 287 के अलाटमेन्ट का इस्तीफा भी स्वयं की तरफ से लिख कर तहसीलदार महवा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जिसके बावजूद भी उक्त आवंटन को यथावत रख दिया गया इस प्रकार बिना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये व आवंटी की ओर से आवंटन हेतु आवेदन के बिना किया गया आवंटन एवं जलभराव की भूमि का किया गया आवंटन भू आवंटन अधिनियम 1970 के नियमो के विपरीत होने के कारण प्रारम्भतः शून्य क्लेदम व बेअसर है। साथ ही आज दिन तक उक्त तथाकथित आवंटी का ना ही तो उक्त आवंटनशुदा भूमि पर कभी कोई कब्जा रहा ना ही उसने उक्त भूमि पर कभी कोई फसल काश्त की ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन स्वतः ही निरस्त हो चुका है। अधीनस्थ आवंटन सलाहकार समिति का आवंटन आदेश दिनांक 01–11–1975 विधि प्रक्रिया एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भूमि के संबंध में ना ही तो जांच करवाई गई है कि उक्त भूमि काबिल काश्त है या नहीं ना ही उक्त भूमि उद्घोषणा में ही दर्ज थी उसके बावजूद भी भूमि का आवंटन नियम विरूद्ध किया गया है जिससे आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटन की गई भूमि आवंटन योग्य भूमि नहीं थी बल्कि जलभराव क्षेत्र की भूमि थी जो जलमग्न भूमि की श्रेणी में आती है तथा भू आवंटन अधिनियम के नियमों के तहत जिन भूमियो की राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत खातेदारी नहीं दी जा सकती हो तथा धारा 16 के अपवादो के श्रेणी में आती हो ऐसी भूमियों का आवंटन नियम विरूद्ध व गैर कानूनी माना गया है विवादित भूमि की किस्म भी जलमग्न होने के कारण व जलभराव क्षेत्र की होने के कारण धारा 16 की परिधि में आती है एवं ऐसी भूमियों का आवंटन नहीं किया जा सकता है एवं ना ही ऐसी भूमियो की खातेदारी दी जा सकती है फिर भी अधीनस्थ आवंटन सलाहकार समिति ने नियमों के विपरीत जाकर उक्त भूमि का आवंटन किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटन नियमों के तहत आवंटी को स्वयं आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत करना चाहिये। उक्त भूमियों के संबंध मे तथाकथित राधारमण द्वारा कोई आवंटन का आवेदन पत्र आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। ना ही राधारमन ने कोई आवेदन फार्म भरा है ना ही उस पर हस्ताक्षर किये है बल्कि किसी गाजीराम के हस्ताक्षरयुक्त एक आवंटन फार्म पटवारी हल्का द्वारा राधाकिशन पुत्र रामनारायण के नाम से भरा गया है एवम् वास्तव में राधारमन पुत्र रामनारायण नाम का कोई व्यक्ति ग्राम पाली में रहता ही नहीं था। राधारमन पुत्र रामप्रसाद नामक व्यक्ति जो कि ग्राम उहलू तहसील भुसावर जिला भरतपुर का रहने वाला है उस व्यक्ति के नाम से उसे पाली का निवासी बताकर गलत तरीके से नामान्तकरण भर दिया गया जबकि राधारमन द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार तहसील महवा को दिनांक 03–01–1976 को ही उक्त अलाटमेन्ट हुई भूमि का इस्तीफा देकर अलाटमेन्ट केन्सिल करने का निवेदन किया है जिससे भी यह सिद्ध होता है कि उक्त तथाकथित राधारमन कोई भूमि काश्त नहीं करना चाहता था इसलिये उसे किया गया आवंटन अवैध नियम विरूद्ध होने के कारण निरस्तकिये जाने योग्य है उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी या उसके पश्चात उसके वारिसान द्वारा आज दिन तक कोई काश्त नहीं की गई है जिससे भी आवंटन नियमों की शर्तो का पालन नहीं किये जाने के कारण आवंटन स्वतः ही निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटन नियमो के अनुसार भूमि आवंटित किये जाने से पूर्व ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नोटिस चस्पा किया जाना चाहिये था व समस्त ग्रामवासियो को सूचना दी जानी चाहिए थी ताकि यदि उक्त भूमि के संबंध में कोई आपत्ति या विवाद हो तो ग्राम की जनता व पंचायत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:46:09 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलक्टर, दौसा

की जनता उक्त भूमि के संबंध में आपत्तियां प्रस्तुत कर सके परन्तु आवंटन सलाहकार समिति द्वारा बिना कोरम पूरा हुए अवैध तरीके से नियमो के विरूद्ध जाकर भूमि का आवंटन किया है जो नियमो के विरूद्ध होने के कारण आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटन हेतु आवेदन किसी भी आवंटी द्वारा या किसी भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया इस तथ्य का प्रमाण यह भी है कि आवंटन आवेदन में प्रार्थी के कोई हस्ताक्षर नहीं है साथ ही आवंटन प्रार्थना पत्र राधाकिशन पुत्र रामनारायण के नाम से भरा गया है पटवारी हल्का द्वारा राधारमन पुत्र रामनारायण की रिपोर्ट की गई है भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा राधारमन पुत्र रामनारायण की सिफारिश की गई है जो गंगासहाय का नाम काट कर की गई है तथा सब डिविजनल ऑफिसर द्वारा राधाकिशन पुत्र रामनारायण के नाम आवंटन आदेश जारी किये है एवम् पट्टा जो कि बाद में राधारमन के पुत्र घनश्याम द्वारा प्राप्त करना बताया है वह राधारमन के नाम से जारी किया गया है तथा इस्तीफा राधारमन के द्वारा लिखा गया है एवं नामान्तरण राधारमन पुत्र रामप्रसाद के नाम भर कर तस्दीक किया गया है इन सब तथ्यों से यह प्रमाणित है कि वास्तविकता में ना ही तो आवेदक था और ना ही इस नाम का कोई व्यक्ति ग्राम पाली या तत्कालीन जिला सवाई माधोपुर में था। इन सब तथ्यों से स्पष्ट प्रमाणित है कि आवंटन आदेश दिनांक 01–11–1975 विधि एवं नियमों के विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। आवंटन नियमों के अनुसार आवंटन उसी ग्राम के भूमिहीन कृषको को किया जाना चाहिये परन्तु अधीनस्थ आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमों के विरूद्ध दूसरे जिले के तथाकथित व्यक्ति को जिसका कि नाम पता भी सही नहीं है व कोई आवंटन आवेदन भी प्रस्तुत नहीं है फिर भी आवंटन आदेश करने में विधि एवं नियमों के विपरीत कार्यवाही कर आवंटन आदेश पारित किये है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त तथाकथित आवंटी जिसने कि कोई प्रार्थना पत्र आवंटन हेतु प्रस्तुत नहीं किया व उक्त आवंटन आदेशों का इस्तीफा लिख कर आवंटन आदेशों को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर दिया था वह व्यक्ति भूमिहीन कृषक की श्रेणी में भी नहीं आता था तथा इस संबंध में पटवारी हल्का से भी कोई रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं की गई। इस प्रकार भूमि आवंटन नियमों के विरूद्ध आवंटित की गई है व आवंटन नियमों की अवहेलना की गई है तथा भूमि आवंटन मिसरिप्रजेन्टेशन करके आवंटन आदेश जारी किये गये है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी सं0 3 घनश्याम पुत्र गोपाल दिनांक 06–06–2018 को अचानक मौके पर आया एवम् उसने ऐलानिया प्रार्थी को धमकी दी कि उक्त भूमि उनके नाम आवंटित हो चुकी थी परन्तु उसे अब तक हमने गुपचुप में रखा अब हम उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करके रहेगे तब उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड देखने पर सर्वप्रथम आवंटन आदेशों की जानकारी हुई जिस पर आवंटन आदेशों की नकल हेतु आवेदन कर आवंटन आदेशों की नकल प्राप्त की हालांकि इस प्रकार के प्रारम्भतः शून्य एवम् आवंटन नियमों के विरूद्ध किये गये आवंटन आदेशों की उजदारी करने हेतु कोई समयसीमा निर्धारित नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन सलाहकार समिति हिण्डौन का आवंटन आदेश दिनांक 01–11–1975 बहक राधाकिशन पुत्र रामनारायण ब्राहम्ण निवासी पाली तहसील महवा तत्कालीन जिला सवाई माधोपुर हाल जिला दौसा बाबत भूमि खसरा नम्बर 215/1, ख० नं० 23, ख० नं0 95 /1, ख० नं० 287 कुल रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा वाके मौजा पाली तहसील महवा जिला दौसा निरस्त फरमाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में सिवाय चक गैर मुमकिन खड्डा दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

3. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति हिण्डौन द्वारा ग्राम पाली तहसील महवा स्थित भूमि खसरा नम्बर 215/1, ख० नं० 23, ख० नं0 95 /1, ख० नं० 287 कुल रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा भूमि का आवंटन विधिवत रूप से किया गया था। प्रार्थी द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 1.11.1975 को 40 वर्ष से भी अधिक विलंब से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:46:09 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलक्टर, दौसा

चुनौती दी गई है। प्रार्थी द्वारा गलत आधारों पर आवंटन आदेश को चुनौती दी गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 3 को बार–2 आवाज दिलवाने पर भी अधिवक्ता अथवा अप्रार्थी सं0 3 उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। इससे पूर्व भी अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 3 बहस हेतु दिनांक 6.12.2024 को भी अनुपस्थित रहे थे।

5- धारा 14(4) भू आवंटन नियम 1970 इस प्रकार है:–

The Collector shall have the power to cancel any allotment made by a Sub-Divisional Office either suo-moto or on the application of any person in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation or has been made against rules or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment:

Provided that no such order to the prejudice of any person shall be passed without giving such person an opportunity of being heard

6. हमने अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं आवंटन आदेश दिनांक 1.11.1975 का गहनता से अवलोकन किया गया। मूल आवंटन पत्रावली में आवंटन आवेदन पत्र के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि आवंटन आवेदन पत्र राधाकिशन पुत्र रामनारायण निवासी पाली के नाम भरा गया है। उक्त आवेदन पत्र पर राधाकिशन के हस्ताक्षर नहीं होकर गाजीराम नामक व्यक्ति के हस्ताक्षर अंकित है जो कि काटे गये है। भूमि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश भी गंगासहाय पुत्र रामनारायण के नाम से भूमि आवंटन की जाकर व बाद में गंगासहाय का नाम काटकर राधारमण अंकित किया गया है। साथ ही आवंटन पत्रावली के संलग्न राधारमण ने दिनांक 3.1.1976 को उक्त आवंटित भूमि का इस्तीफा लिखा है। उक्त आवंटन फ्रोड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन के आधार पर किया गया है जिसे हम निरस्त किये जाने योग्य समझते है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 1.11.1975 को ग्राम पाली तहसील महवा के तत्समय खसरा नंबर 215/1, 23, 95/1, 287 कुल रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा का आवंटन आदेश निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार महवा को प्रेषित की जाकर उक्त भूमि के वर्तमान खसरा नंबर की जांच कर उन्हें सिवायचक दर्ज किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

Devendr
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 31 जनवरी, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के भीतर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:46:09 IST
Reason: SelfAttested

Devendr
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official